

33 केव्ही सेऊर की विद्युत स्थापनाओं के लिए
विनियम 43 के अन्तर्गत अनुमोदन की प्रक्रिया

प्रक्रिया-1	आवेदन प्रपत्र में उपकरणों की सूची, उपकरणों के रेखाचित्र की अनुमोदन शुल्क तथा विद्युत ठेकेदार के साथ-साथ स्थापना अधिकारी / स्वामी के हस्ताक्षर, सील सहित चार प्रतियाँ प्रस्तुत करना है ।
प्रक्रिया-2	अनुमोदन उपरांत कार्य प्रारम्भ की सूचना ।
प्रक्रिया-3	कार्यपूर्ति एवं परीक्षण प्रपत्र के साथ-साथ निरीक्षण शुल्क का चालान, प्रत्येक उच्चदाब उपकरण के निर्माता के प्रमाण-पत्र सुरक्षा अधिकारी, तारमिस्त्री की नियुक्ति एवं घोषणा-पत्र निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना है ।
	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र.शासन, रीवा / जबलपुर / इन्दौर / उज्जैन द्वारा निरीक्षण किया जावेगा । निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों को दुरुस्त कर दुरुस्ती प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र.शासन, भोपाल को प्रस्तुत करना है । तत् पश्चात् अनुमोदन प्रदान किया जावेगा ।
प्रपत्र	(1) फीस की अधिसूचना (2) कार्यपूर्ति / परीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप (3) निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप (4) निरीक्षण अनुमोदन का प्रारूप । (कृपया प्रपत्र में देखें) (फीस - फीस की अधिसूचना में देखें)

= = 0 = =